भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 713

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना

713. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **महिला और बाल विकास राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई राज्य स्तरीय पहल/योजनाएं शुरू की गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन दशकों के दौरान 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या बाल श्रम की घटनाओं में कमी लाने के लिए कोई राज्य स्तरीय पहल/योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा बारहवीं तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक वर्ग के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर बच्चों को सुलभ है।

स्कूली शिक्षा में बालिकाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न कार्यकलाप लक्षित किए गए हैं। इनमें बालिकाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की बालिकाओं के लिए मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, दूरदराज/पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को वजीफा, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों सहित लैंगिक-संवेदनशील शिक्षण-उन्मुखीकरण सामग्री शामिल हैं।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और बालिकाओं तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है जो देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित 10-18 वर्ष की आयु की कक्षा VI से XII तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं।

इसके अलावा एनईपी 2020 'समान और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है जो इस विचार को प्रतिध्वनित करती है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामलों की रिपोर्ट के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित “भारत में अपराध” के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। “भारत में अपराध” रिपोर्ट वेबसाइट यानी ncrb.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

एमओएलई ने बच्चों को बाल मजदूर के रूप में नियोजित होने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, इनमें शामिल हैं:-

i. बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में किसी भी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध और 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और कार्यविधियों में काम करने पर प्रतिबंध का प्रावधान है। यह अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान करता है और अपराध को संज्ञेय बनाता है और इसके तहत बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 नियम बनाए गए हैं।

ii. अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत प्रावधानों के पूरक के लिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्रवाई बिंदुओं को सूचीबद्ध करते हुए आदर्श राज्य कार्य योजना तैयार करना।

iii. इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के बचाव और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा था, जिसके तहत 9-14 वर्ष की आयु के बच्चों को काम से बचाया गया, एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में दाखिला लिया गया और औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाने से पहले उन्हें ब्रिज शिक्षा इत्यादि प्रदान की गई। एनसीएलपी योजना को अब 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक योजना समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) में शामिल कर लिया गया है।

iv. साथ ही, बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 'बाल श्रम निषेध के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच (पेनसिल)' नामक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल के पांच घटक हैं- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परियोजना समितियां, बाल ट्रैकिंग प्रणाली और शिकायत कोना।

*****